

# 26 JOINT COMMITTEE REPORT

Original Application No.: 94/2025 (CZ)

Naval Kishore Bhargav  
vs.  
State of Madhya Pradesh

**Subject:** Report on site inspection and action taken regarding environmental degradation due to unauthorized sewage discharge at **Dhuvai Talab**, Nagar Parishad Narwar, District Shivpuri, M.P.



**Date of Inspection: 23/08/2025**

**Place of Inspection: Dhuvai Talab Narwar, District Shivpuri, (M.P.)**

**JOINT COMMITTEE REPORT****Original Application No.: 94/2025 (CZ)**

Naval Kishore Bhargav

vs.

State of Madhya Pradesh

**List of Documents**

<b>S. No.</b>	<b>Description of Document</b>	<b>Annexure</b>	<b>Page No.</b>
1	Copy of NGT Order	Annexure 01	01-03
2	Nomination letter by District Collector, Shivpuri	Annexure 02	04
3	Nomination letter by MPPCB	Annexure 03	05-06
4	Attendance Sheet	Annexure 04	07
5	Revenue Records	Annexure 05	08-21
6	Inspection Photographs	Annexure 06	22-23
7	Action Plan of Municipal Council Narwar (Drain Diversion)	Annexure 07	24-25
8	On-site inspection note (Mouka Panchnama)	Annexure 08	26
9	Water Analysis Reports	Annexure 09 & 10	27-28
10	Correspondence regarding Environmental Compensation	Annexure 11, 12, 13	29-34
11	DPR Approval Letters	Annexure 14 & 15	35-37
12	Copy of Work Order	Annexure 16	38
13	Progress Report submitted by Contractor	Annexure 17	39
14	F.No. W-4/4/2022-WTL GOI, MOEF&CC (Wetlands Division) Office Memorandum Dated: 8th March, 2022.	Annexure 18	40

**Date:** 19/09/2025**Place:** BhopalSubmitted by MPPCB  
through Counsel


Adv. Parul Bhadoria

Ph. No.: (+91)-8085977111;

Email: parul.bhadoria04@gmail.com

# 28 JOINT COMMITTEE REPORT

Original Application No.: 94/2025 (CZ)  
**Naval Kishore Bhargav v/s State of Madhya Pradesh**

1. It is humbly submitted that in compliance with the order dated **29.07.2025** passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal, in Original Application No. 94/2025 (Naval Kishore Bhargav v/s State of Madhya Pradesh), a Joint Committee comprising the representative of the District Collector, Shivpuri, and the representative & Member Secretary of the Madhya Pradesh Pollution Control Board was directed to carry out an inspection. (**Copy of order attached as Annexure-01**).
2. For the purpose of this inspection, the District Collector, Shivpuri nominated **Shri Santosh Singh Dhakad, Tehsildar, Narwar** as his representative. On behalf of the Madhya Pradesh Pollution Control Board, **Shri D.V.S. Jatav, Regional Officer, Guna** was nominated as the representative and Nodal Officer. (**Nomination letters attached as Annexure-02 & 03**).
3. On **23.08.2025**, the Joint Committee conducted the inspection of O.A. No. 94/2025. Members of the inspection team, officers/employees of Municipal Council Narwar, and the complainant **Shri Rajkumar Khatik** were present during the inspection. (**Attendance sheet attached as Annexure-04**).
4. During the inspection, the Joint Committee visited **Dhuvai Pond** and prepared an on-site inspection note (*mouka panchnama*). The Dhuvai Pond is a private pond, details of its survey number, area, landowners, and settlement records are as follows:

S. No.	Khasra No.	Area (ha.)	Landowner (Name of father)	Settlement/ Record
1	1698/1/1	0.525	Ahvaran Singh S/o Rai Singh	Landowner
2	1698/1/2, 1698/3149	0.5254 / 0.1200	Rajkumar Khatik S/o Om Prakash Khatik & others	Landowner
3	1698/2	0.1035	Shivpujan Singh S/o Ranjit Singh	Landowner
4	1698/3	0.1838	Ballus S/o Lachchi & others	Landowner
5	1698/4	0.4818	Pawan Kumar S/o Mahavir Prasad & others	Landowner
6	<b>Total</b>	<b>1.9395</b>	-	-

(**Revenue record attached as Annexure-05**)

5. From Lodi locality, through a drain, the domestic sewage from **Wards No. 7, 8, 11, and 12** of Narwar Municipal Council was found being discharged into Dhuvai Pond. At the time of inspection, both **rainwater and domestic sewage** were found mixed in the pond. (**Photographs attached as Annexure-06**).
6. The Chief Municipal Officer, Municipal Council Narwar, submitted a **time-bound action plan** (Letter No. 2068 dated 23.08.2025) for construction of a drain of about 100 meters length to divert the sewage directly to the culvert of the main road so that it does not enter into the pond. The work is to be completed by **January 2026**. (**Letter attached as Annexure-07 and mouka panchnama attached as Annexure-08**).

7. On **12.08.2025**, legal water samples were collected from the drain carrying sewage into the pond as well as from the pond itself, and sent to the Regional Laboratory, Gwalior for analysis. On comparison with BIS Standard IS:2296, it was observed that due to continuous dilution of sewage with rainwater, the results were not exceeding the prescribed standards. The garbage & sewage mixed with the rain water reaches to the pond may generate noxious gases due to anaerobicity's anaerobic decomposition of the waste like H<sub>2</sub>S, NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub> etc. (**Reports attached as Annexure-09 & 10**).
8. In compliance with the Hon'ble NGT orders in O.A. No. 606/2018 dated 25.02.2020, 28.02.2020, and 14.12.2020, Environmental Compensation of **₹1.32 crore (₹66 lakh + ₹66 lakh)** has already been imposed on Municipal Council Narwar by MPPCB (Letters dated 24.12.2021 & 11.05.2022). Further, recovery proceedings have been initiated again through MPPCB Regional Office, Vijaypur, Guna vide Letter No. 447 dated 12.08.2025. (**Copies attached as Annexure-11, 12 & 13**).
9. Municipal Council Narwar produced documents regarding the establishment of a **2.0 MLD Sewage Treatment Plant (STP)**. Details are as follows:

S. No.	Letter No. & Date	Particulars	Annexure
1	Sha-14/SBM(U)/2024/23045 & 23047 dated 29.10.2024 (Bhopal)	DPR sanctioned under Swachh Bharat Mission (Urban) 2.0 for STP construction and related works (₹5.45 crore)	Annexure 14 & 15
2	N.P./2025/1896 dated 21.07.2025	Work order issued to Contractor Shri Laxman Singh Parmar, Sharma Wali Gali, Gopalpura, Morena for STP construction	Annexure 16
3	LSP/LWM/0010 dated 22.08.2025	Time-bound construction schedule submitted by the contractor	Annexure 17

### **Observations:-**

1. Dhuvai Pond is a **private pond** in which presently both domestic sewage and rainwater are mixing.
2. Narwar Municipal Council has proposed diversion of sewage, expected to be completed by **January 2026**.
3. Work order for construction of **2.0 MLD STP** has been issued and contractor has submitted time-bound schedule.
4. Analysis report shows results within standards due to **dilution effect** of rainwater, but this is only a temporary condition.
5. **F.No. W-4/4/2022-WTL GOI, MOEF&CC (Wetlands Division) OFFICE EMORANDUM Dated: 8th March, 2022**. It is stated as under: The Hon'ble Supreme Court vide Order dated 4th October, 2017 in W.P. (C) No. 230 of 2001 has, inter-alia, directed that: *"We make it clear and reiterate that in terms of our order dated 8th February, 2017, 2,01,503 wetlands that have been mapped by the Union of India should continue to remain protected on the same principles as were formulated in Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010."* The same has been communicated by this Ministry to all the States and Union Territories in November,

2017. The Hon'ble NGT has also reiterated the same in various recent cases. In view of the above, it is once again clarified/reiterated that the **2,01,503 wetlands (>2.25 ha)** as per the National Wetland Inventory and Assessment (NWIA), 2011 should be protected as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017. This protection is irrespective of the applicability of notification under the said Rules. Therefore, as per this Memorandum, Dhuwai Talab does not fall under the category of Wetlands. **Annexure 18**

### **Recommendations:-**

It is humbly submitted that **Chief Municipal Officer, Municipal Council Narwar, and concerned landowners** may be directed as follows:

1. Ensure strict compliance with the **Time-Bound Action Plan** for diversion of sewage.
2. Ensure timely completion of the **STP construction** within the prescribed schedule.
3. Take immediate steps to completely stop discharge of domestic sewage into Dhuwai Pond.
4. Ensure recovery and payment of **Environmental Compensation** of ₹1.32 crore.
5. Landowners should protect their private land/pond so that no garbage or sewage is discharged into it.

**Date:** .....

**Place:** Bhopal



**D.V.S. Jatav**  
Regional Officer  
Regional Office, Vijaypur,  
District – Guna (M.P.)



**Santosh Dhakad**  
Tehsildar  
Tehsil Office, Narwar,  
District – Shivpuri (M.P.)

Item No. 04

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL  
(Through Video Conferencing)  
Original Application No. 94/2025(CZ)**

Naval Kishore Bhargav

Applicant (s)

Vs.

State of Madhya Pradesh

Respondent(s)

Date of Hearing: **29.07.2025**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

For Applicant (s):

Mr. Kanishk Devesh Sharma, Adv  
Mr. Deepak Kumar Kori, Adv.  
Mr. Raja Ujjwal, Adv.

For Respondent(s):

**ORDER**

1. The grievance of the applicant is environmental degradation and public health crisis arising from prolonged waterlogging, unauthorized discharge of untreated sewage, and the consequent creation of stagnant water bodies in Ward No. 8, Nagar Parishad Narwar, District Shivpuri, Madhya Pradesh. It is alleged that over the past three years (2022-2025), an area of vacant land belonging to another individual resident, Mr. Rajkumar Khatik S/o Omprakash Khatik, R/o-Mangal colony, Madhav Colony, Tehsil - Narwar District - Shivpuri, Madhya Pradesh, in Ward No. 8 has been systematically converted into an unauthorized sewage disposal site, receiving untreated wastewater, domestic sewage, and industrial effluents from various parts of Narwar township without any scientific treatment or proper outlet mechanism. That the continuous discharge of untreated sewage has created permanent stagnant water bodies covering the land bearing

land revenue survey number 1698/1/2 measuring 0.5254 Hectare, which remain waterlogged throughout the year, creating anaerobic conditions and producing toxic gases including hydrogen sulfide, methane, and ammonia. The percolation of untreated sewage poses imminent threat to groundwater aquifers, violating the Central Ground Water Authority guidelines and potentially affecting drinking water sources of the entire region.

2. A substantial issue of environmental has been raised. Issue notice to the respondents. Returnable within four weeks.
3. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
4. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue, in present application, from a Joint Committee consisting of:
  - (i) One Representative from the District Collector, Shivpuri, (M.P.)
  - (ii) One Representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (M.P.)
6. The Committee is directed to visit the site and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. Applicant is directed to supply the required documents and copy of the application to the committee and the respondents within a week and after compliance of service, the Applicant has to submit an

affidavit that notices and copy of the application have been served upon the committee and respondents.

8. The report in the matter be filed by the Committee by email at [ngtczbbho-mp@gov.in](mailto:ngtczbbho-mp@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **08<sup>th</sup> October,2025**

**Sheo Kumar Singh, JM**

**Dr. A Senthil Vel, EM**

29<sup>th</sup> July, 2025  
O.A. No. 94/2025(CZ)  
K

# कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला शिवपुरी (म.प्र.)

क्रमांक / डूडा / 2025 / 603

शिवपुरी दिनांक 05/08/2025

प्रति,

तहसीलदार  
तहसील नरवर  
जिला-शिवपुरी

विषय:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्र भोपाल के प्रकरण क्रमांक - 94/2025 (सीजेड) श्री नवल किशोर भार्गव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेशों के अनुपालन के संबंध में।

संदर्भ:-

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण मध्य क्षेत्र भोपाल का आदेश दिनांक 29.07.2025
2. क्षेत्रीय कार्यालय, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर गुना का पत्र क्रं./405 दि. 30.07.25

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल के प्रकरण क्रमांक- 94/2025 (सीजेड) में पारित आदेश दिनांक 29.07.2025 के अनुपालन हेतु कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप प्रकरण से संबंधित जाँच एवं माननीय न्यायालय में जवाब प्रस्तुत करने हेतु आपको नामित किया जा रहा है। आप अधिवक्ता से संपर्क कर प्रकरण से संबंधित समस्त जानकारी तैयार कर माननीय न्यायालय में आगामी सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2025 से पूर्व जवाब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(कलेक्टर महोदय द्वारा आदेशित)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(दिनेश चन्द्र शुक्ला)

अपर कलेक्टर

एवं परियोजना अधिकारी

जिला शहरी विकास अभिकरण

जिला-शिवपुरी

शिवपुरी दिनांक 05/08/2025

पृ.क्रमांक / डूडा / 2025 / 603

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, MOPRO प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विजयपुर जिला गुना की ओर सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर

एवं परियोजना अधिकारी

जिला शहरी विकास अभिकरण

जिला-शिवपुरी

Handwritten signature and date: 05/08/2025

Handwritten signature



**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016



Fax No : +91-755-2463742 E-mail : mppcb@rediffmail.com

कमांक

/विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2025,

भोपाल, दिनांक

**// कार्यालय आदेश //**

सिविल प्रकिया संहिता 1908(1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना को (पक्षकारों के नाम) प्रकरण कमांक-94/2025(CZ), (नवल किशोर भार्गव विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) भोपाल बेंच, में म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन पत्र करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म0प्र0 विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उक्तदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में बोर्ड अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे की बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामाग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- (5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा :-
  - (1) बादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिपोर्ट।
  - (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
  - (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
  - (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इसमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा बोर्ड के विरुद्ध पारित किया जाता है तो बोर्ड को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा।

Handwritten signature and date: 14/01/2025



**मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,**  
**पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कॉलोनी, भोपाल-462016**



Fax No. : 91 755 2463742 E-mail : cpcb@rediffmail.com

- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, सय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्घ शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- (12) प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि, कोई महत्वपूर्ण पत्र या दरतावेज आप्रकटिक/छुपी हुई न रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रक्रम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अग्रेषित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

अधीक्षण यंत्री(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ०क्र० 2506/विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2025,

प्रतिलिपि :-

01 AUG 2025

(1) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को सदैव ही भेजी जावे। कृपया प्रकरण की आगामी सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय एनजीटी के आदेश का पालन हो सके।

(2) श्रीमती पारुल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण यंत्री(विधि)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

## JOINT COMMITTEE REPORT

Original Application No.: 94/2025 (CZ)

Naval Kishore Bhargav v/s State of Madhya Pradesh

Attendance Sheet

Date of Inspection: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_, Time: \_\_\_\_\_ PM.

Location: Ward No. 8, Nagar Parishad Narwar, District Shivpuri, (M.P.)

S. No.	Name & Designation	Department / Organization	Mobile Number	Signature
1.	D.V.S. Jataw, Regional officer	M.P.P.C.B Vijaypur Distt. Guna	9827332692	
2.	SANTOSH SINGH DHAKAD Tehsildar Narwar	Revenue Department	79871 07060	
3.	Bhupendra Singh Manuwa AE	MPPCB. Vijaypur. Guna.	9993954111	
4.	 आनंद कुमार अधीकार	अनंत	9428136188	
5.	पद्मा दीक्षी w/o	अध्यापक विद्यालय	9893824525	
6.	प्रदीप नरकरिया	CMS नगर निगम	9926291848	
7.	राजेश कुमार शर्मा	Sub Engg न.ग.नरम	9981085505	
8.				
9.				
10.				



पृष्ठ संख्या: 28/03/47944

भू-नक्शा			पटवारी हुक्मा-नक्शा			तहसील-नक्शा		जिला-शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026	
भूमि के भाग की भूमिदारी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वदायक/संयुक्त/स्वीकृत संरक्षण)	भू-खण्ड संख्या (स्वीकृत की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रलेख भूमि स्वामी का अर्थ	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौजूबी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलेखित तथा प्रभार 1. बंधक 2. एंटीबैंक 3. भू-अर्जन प्राप्तिमाफी	फसल के ब्यौरे 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के विवाद संबंधी प्रतिक्रिया 2. भूमि पर खतरा/भू 3. अन्य अधिनियमों 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक में प्रतिक्रिया में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1601877644 33KOYZDASL6LHO	1698/1/1 (S)		0.5255 हेक्टेयर कृषि रु.5 38	अहवरणसिंह पुत्र रामसिंह जाति यादव पता नि मालनपुर गिर्द ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		1					खसरा क्रं. 1698/1 में से रकबा 0.5250 को दस्तावेज क्रं. JMF392952024A1259839 दिनांक 29 FEB 24 से राजकमार खटीक को विक्रय किया गया। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1371/अ-6/2023-24, आदेश दि. 28/05/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। नामांतरण(फौती)प्रकरण क्रमांक 01-10-16 आदि. 02/02/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(अन्य)प्रकरण क्रमांक 19/2015 16/A 6-A आदि. 05/01/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1386/अ-6/2021-22, आदेश दि. 07/01/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0010/अ-6/2021-22, आदेश दि. 28/12/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0050/अ-6/2022-23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0049/अ-6/2022-23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 876/2020-21, अ 6 आदेश दि. 29/12/2020 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 691/2020-21, अ 6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 694/2020-21, अ 6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 693/2020-21, अ 6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू-

पारोबा 05 पारोबा 05

पारोबा 05 पारोबा 05



भूमि के भाग की पहचान		पटवारी हरका- नखरा	तहसील- नखरा		जिला- शिवपुरी	फरसल के अतिरिक्त		तारीख- 2025-2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1601877655 83KDHO0ASLM5H0	1698/1/2 (5)		0.5254 हेक्टेयर कृषि रु. 5.37	राजकुमार खटीक पुत्र ओमप्रकाश जाति खटीक पता निवासी मंगल कोलोनी माधव चौक शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1	1. सरकारी भूदादा का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्पण क्षेत्र	मौखी कृषक (पट्टे कोर्दा को) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलग्न तथा प्रभार 1. बंधक 2. परिचयक 3. भू-अर्पण प्रक्रियाधीन	फरसल के अतिरिक्त 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फरसल के अर्पण क्षेत्र	1. भूमि के सिवाई संबंधी प्रसिद्धि 2. भूमि पर संवतः /मध्य 3. अन्य अभिलेखियां 4. यदि के दौरान कौनसा संख्या (1) से (9) तक में प्रसिद्धियों में सुधार के आदेश
											खसरा क्र. 1698/1 में से रकबा 0.5250 को दस्तावेज क्र. MP392952024A1259839 दिनांक 29 FEB 20 से राजकुमार खटीक को विक्रय किया गया। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1371/ अ-6/2023 24, आदेश दि. 28/05/2024 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। नामांतरण(फौती) प्रकरण क्रमांक 01 to-16 आ.दि. 02/02/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(अन्य) प्रकरण क्रमांक 19/2015 16/A 6 A आ.दि. 05/01/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1386/ अ-6/2021 22, आदेश दि. 07/01/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0010/ अ-6/2021 22, आदेश दि. 28/12/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0050/ अ-6/2022 23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0049/ अ-6/2022 23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 876/2020 21, अ-6 आदेश दि. 29/12/2020 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 691/2020 21, अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 694/2020 21, अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 693/2020 21, अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू-

*Handwritten signature and date: 17/11*



			पटवारी हल्का- नरवर			तहसील- नरवर			जिला- शिवपुरी		वर्ष- 2025-2026
मू-संरक्षण अधिनियम के भाग की पूर्णिक दिवसी	भूमि के भाग का प्रकार (लोकेशन संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	मू-संरक्षण संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. मू-संरक्षण/मू-भाटक (रू. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौखी कुचक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विस्तार्य तथा प्रभार 1. सरोवर 2. रक्षित/रक्षक 3. मू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यौर 1. सरोवर 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. पट्टे के सिंहाई संबंधी प्रत्यक्षित 2. पट्टे पर संचना/पत्र 3. अन्य अतिमूर्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक में प्रतिष्ठितियों में सुधार के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1558871932 83KOTJDASMOZH0	1698/2 (S)		0.1035 हेक्टेयर कृषि रू.1.06	शिवपूजन सिंह पुत्र रणजीतसिंह राजपूत पता नि वार्ड न.07 छोटा बाजार नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी		1					नामांतरण(फौजी)प्रकरण क्रमांक 01 to 16 आ.दि. 02/02/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(अन्य)प्रकरण क्रमांक 19/2015 16/A 6 A आ.दि. 05/01/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1386/ अ-6/2021-22, आदेश दि. 07/01/2022 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0010/ अ-6/2021-22, आदेश दि. 28/12/2021 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0050/ अ-6/2022-23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0049/ अ-6/2022-23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 876/2020-21, अ-6 आदेश दि. 29/12/2020 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 691/2020-21, अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 694/2020-21, अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 693/2020-21, अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0048/ अ-6/2022-23, आदेश दि. 26/07/2022 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0043/ अ-6/2022-23, आदेश दि. 29/03/2023 के अनुसार मू-अभिलेख अद्यतित।

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



947947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
									फसल के ब्यारे	फसल के अर्जन क्षेत्रफल		
भूमि के भाग की पहचान आईडी	भूमि के भाग का प्रकार (संरक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारित किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-आटक (रू. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. शालकोष भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी भूदेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अर्जन क्षेत्र	मौखी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलेग तथा प्रभार 1. बंधक 2. छद्मबंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे 1. खरीक 2. रबी 3. ज़ायद 4. अन्य	फसल के अर्जन क्षेत्रफल	वर्ष: 2025-2026 1. भूमि के सिलेबंद संवर्गीकरण प्रक्रिया 2. भूमि पर संवर्णन /अंश 3. अन्य अभिलेखियां 4. वर्ष के दौरान कालम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सुधार के आदेश	
1558871943 83K0BRDASLUSHU	1698/3 (S)		0.1838 हेक्टेयर कृषि रू. 1.88	वल्लू पुत्र लक्ष्मी जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नरसू पुत्र बाबू जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मखो बेवा नेकसिया जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकली बेवा सामलिया जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संजय पुत्र भगवानसिंह जाति बाधम पता नि वार्ड न.13 भितरवार खालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सोवस पुत्र हरचरण जाति बाधम पता नि वार्ड न.13 भितरवार खालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मुकेश पुत्र भगवानसिंह जाति बाधम पता नि वार्ड न.13 भितरवार खालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कलावती पुत्री हरचरण जाति बाधम पता नि वार्ड न.13 भितरवार खालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	178/1838  30/1838 267/1838 71/1838 21/1838 64/1838 21/1838 65/1838						नामांतरण(मौली)प्रकरण क्रमांक 01-16-16 आदि 02/02/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(अन्य)प्रकरण क्रमांक 19/2015-16/A-6-A आदि, 05/01/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 1386/अ-6/2021-22, आदेश दि. 07/01/2022 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0010/अ-6/2021-22, आदेश दि. 28/12/2021 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0050/अ-6/2022-23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0049/अ-6/2022-23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 876/2020-21, अ-6 आदेश दि. 29/12/2020 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 691/2020-21, अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 694/2020-21, अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 693/2020-21, अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0048/अ-6/2022-23, आदेश दि. 26/07/2022 के अनुसार भू अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र. 0043/अ-27/2022-23, आदेश दि. 29/03/2023 के	

Handwritten signature and date: 27/03/2023



42

परतबारी हल्का: नरवर			तहसील: नरवर				जिला: शिवपुरी			वर्ष: 2025-2026	
भाग की पुनिक	भूमि के भाग का प्रकार (संबंधित संख्यांक / ब्लॉक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भारक (र. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	गोदारी कृषक (वर्ग कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विलेगन तथा प्रभार 1. बंधक 2. ट्रेडिंगक 3. भू-अर्पण प्रतिपादन	फसल के बट्टे 1. खरीफ 2. रबी 3. ज़ायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के सिंचाई संबंधी ज़रूरतें 2. भूमि पर संरचना/वृक्ष 3. अन्य अभियुक्तियाँ 4. वर्ग के दौरान कौतम संख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टियों में सूचक के आदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				मिथला बेवा भगवानसिंह जाति बाधम पता नि वार्ड न 13 भितरवार खालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	22/1838						
				सुनीता पुत्री हरचरण जाति बाधम पता नि वार्ड न 13 भितरवार शिव पुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	65/1838						
				राजेंद्र पुत्र हरचरण जाति बाधम पता नि वार्ड न.13 भितरवार खालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	64/1838						
				राजू पुत्र गुलाबसिंह जाति बाधम पता नि नजरपुर तहसील भितर वार खालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	161/1838						
				हरीसिंह उर्फ हल्के पुत्र गुलाब सिंह जाति बाधम पता नि नजरपुर तहसील भितर वार खालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	161/1838						
				बालकियन पुत्र सामलिया जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	71/1838						
				गुड्डी पुत्री बाबू जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1838						
				सुजा पुत्र विरखा जाति डीमर	178/1838						

अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।

*Handwritten signature and stamp*



पटवारी हल्का: नखर			तहसील: नखर				जिला: शिवपुरी			वर्ष: 2025-2026	
भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्यांक / ब्लाक संख्यांक)	भू-खण्ड संख्यांक (ब्लॉक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग किसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (रु. में)	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सकाराती पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पेट्टे की अवधि 3. पेट्टे के अपीन क्षेत्र	मौखी कृपक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विस्तीर्ण तथा प्रभार 1. धंधक 2. रट्टिबंधक 3. भू-अर्जन प्रतिष्ठापनी	फसल के ब्योरे 1. खरीक 2. खी 3. जयद 4. अन्य	फसल के अपीन क्षेत्रफल	1. भूमि के बंधाई संबंधी तारिखीति 2. भूमि पर संरचना /मिध 3. अन्य अधिपुक्तिनी 4. धर के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में दर्शाएगी में मूधार के आदेश		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी							
				नन्दकिशोर पुत्र सामलिया जाति दीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	71/1838						
				चतुरो बेबा बाबू जाति दीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1838						
				संतो पुत्री बाबू जाति दीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1838						
				जगदीश पुत्र बाबू जाति दीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1838						
				हुजलाल पुत्र तुलुआ जाति दीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	36/1838						
				सरमनिया पुत्री बाबू जाति दीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	30/1838						
				कल्लू पुत्र सामलिया जाति दीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	71/1838						
				अनीता पुत्री सामलिया जाति दीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	71/1838						

14/08/2025  
नखर  
नखर की न्यायपालिका  
नखर की न्यायपालिका



347948

भूमि के भाग की भूमिका गैडेंडी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण संख्याक /स्वीक संख्याक)	भू-खण्ड संख्याक (स्वीक की दशा में)	पटवारी हस्ता: नरवर			तहसील: नरवर			जिरा: शिवपुरी		वर्ष: 2025-2026	
			1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-भाटक (र. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता / पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. एहू की अवधि 3. एहू के अधीन क्षेत्र	भूमि पर विलेख तथा प्रभार 1. बंधक 2. हथियारक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के प्रकार 1. खरीफ 2. रबी 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के पिताई संबंधी प्रतिक्रिया 2. भूमि पर सर्वनाम/वध 3. अन्य अधिपुष्टियां 4. वर्ष के दौरान कॉलम संख्या (1) से (9) तक में प्रतिक्रिया में सुधार के अहदाए		
1558871954 83KOAEDASMBVHO	1698/4 (S)		0.4818 हेक्टेयर कृषि रु.4.93	पवनकुमार पुत्र महावीरप्रसाद जाति जैन पता नि नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1/3							नामांतरण(फौती) प्रकरण क्रमांक 01 से 16 आदि 02/02/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। नामांतरण(अगु)प्रकरण क्रमांक 19/2015 16/A 6 A आदि 05/01/2016 के अनुसार तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 1386/ अ-6/2021-22, आदेश दि. 07/01/2022 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 0010/ अ-6/2021-22, आदेश दि. 28/12/2021 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 0050/ अ-6/2022-23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 0049/ अ-6/2022-23, आदेश दि. 20/09/2022 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 876/2020 21 अ-6 आदेश दि. 29/12/2020 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 691/2020 21 अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 694/2020 21 अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 693/2020 21 अ-6 आदेश दि. 09/03/2021 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 0048/ अ-6/2022 23, आदेश दि. 26/07/2022 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्रं 0043/ अ-27/2022 23, आदेश दि. 29/03/2023 के अनुसार भू. अभिलेख अद्यतित।
				महेन्द्रसिंह पुत्र भगवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी चन्द्रवदनी तिराह म्वालिपर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1/3							
				राजेन्द्रसिंह पुत्र मोतीराम जाति गुर्जर पता नि म्वालिपर शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	1/3							

बिना  
 दिनांक 11 अक्टूबर  
 नरवर शिवपुरी



LR No. : 11143951834

नाम: नरवर		पटवारी हल्का: नरवर		तहसील: नरवर		जिला: गिबपुरी		वर्ष: 2024-2025			
भूमि के भाग की सूचिका कोई भी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण सख्याक/ह्लोक/रूपांक सख्याक)	पू-खण्ड सख्याक (ह्लोक की दशा में)	1. क्षेत्रफल (हेक्टेयर/वर्ग मीटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (ह्लोक में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. संरक्षित पट्टे/रॉड का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौल्यी कुषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विद्यमान तथा प्रभार 1. बंधक 2. दुर्बन्धक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के प्रकार	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के निर्वाह सक्ती प्राधिकारि 2. भूमि पर सज्जता कृषि 3. अन्य अधिष्ठातियां 4. वर्ष के दौरान कॉलन संख्या (1) से (9) तक में प्राधिकारित सुधार के प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148563 3745	1698/ 2149 (S)	0.1200 हेक्टेयर	राजकुमार खटीक पुत्र ओमप्रकाश जाति खटीक पता नि मंगल कॉलोनी माधव चौक शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	900/ 129 12							पडती 4 वार्स ने ज्यादा 0.1200 रिहायशी भवन 0.1200
83K11V DAGM2 TH0	13500 वर्गफीट	रु.0.00	अहवरनसिंह यादव पुत्र रामसिंह जाति यादव पता नि मालनपुर गिर्द तहसील व जिला खालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	900/ 129 12							न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र 1586/अ-6/2021-22 अर्थात् दि. 26/07/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र 1585/अ-6/2021-22 अर्थात् दि. 01/08/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित। न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण क्र 0034/अ-6/2022-23 अर्थात् दि. 01/08/2022 के अनुसार भू-अभिलेख अद्यतित।
			संध्या वैश पत्नी शिवओम वैश जाति ठाकुर पता नि वार्ड न.07 छोटा बाजार नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	225 0/12 912							13500-वर्गफीट
			आशा वैश पत्नी शिवपूजन वैश जाति ठाकुर पता नि वार्ड न.07 छोटा बाजार नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	225 0/12 912							
			दुजारीवाई पत्नी रणजीतसिंह जाति ठाकुर पता नि नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	661 2/12 912							

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख  
खसरा

प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)  
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

SLR No. : 11143951834

ग्राम: नरवर			पटवारी हल्का: नरवर			तहसील: नरवर			जिला: शिवपुरी		वर्ष: 2024-2025
भूमि के भाग की श्रेणी	भूमि के भाग का प्रकार (सर्वेक्षण सख्याक को दर्शाते हैं)	भू-खण्ड सख्याक (हलक को दर्शाते हैं)	1. क्षेत्रफल (क्वैटरखर/मोटर में) 2. भूमि उपयोग जिसके लिए निर्धारण किया गया है 3. भू-राजस्व/भू-पाटक (लि. में)	1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. शासकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	1. तहसील पटवारी का नाम (असली माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	मौल्यी कृषक (यदि कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर क्लेनम तथा प्रभार 1. बंधक 2. दृष्टिवंधक 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	फसल के ब्यारे 1. फसल 2. खरीफ 3. जायद 4. अन्य	फसल के अधीन क्षेत्रफल	1. भूमि के चिन्नाई तकनी प्रारथिति 2. भूमि पर रखना/वृत्त 3. अन्य अधिपत्तियाँ 4. वर्ष के दौरान कौन्स सख्या (1) से (9) तक में प्रविष्टिगत न सुधार के अट्रेड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2025-2026

दिनांक: 23-08-2025 11:39:37



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	नरवर	नरवर	नरवर	शिवपुरी
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू-राजस्व.	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4) 	
1698/1/1(S)	0.5255(हेक्ट.)	5.38		
भूस्वामी: अहवरणसिंह पुत्र रामसिंह जाति यादव पता नि मालनपुर गिर्द ग्वालियर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी			 रामसिंह मालनपुर मालनपुर प.सं. 11 नरवर नरवर तहसील शिवपुरी (अ.प्र.) (हस्ताक्षर)	

नोट  
 1. यह प्रपत्र केवल माथी की जानकारी के लिए है।  
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
 3. डिजिटल साईज कोपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।




मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2025-2026

दिनांक : 23-08-2025 11:42:03



सर्वेक्षण सं.: 1698/3149(S)	ग्राम: नरवर	हल्का: नरवर	तहसील: नरवर	जिला: शिवपुरी
	क्षेत्रफल: 0.1200(हेक्टर.)	भू-राजस्व.: 0.00	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	0 20 40 60 80 100 120 160m

**भूस्वामी:** दुलारीबाई पत्नी रणजीतसिंह जाति ठाकुर पता नि नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी आशा वैश पत्नी शिवपूजन वैश जाति ठाकुर पता नि वार्ड न.07 छोटा बाजार नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संध्या वैश पत्नी शिवओम वैश जाति ठाकुर पता नि वार्ड न.07 छोटा बाजार नरवर शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी अहवरनसिंह यादव पुत्र रामसिंह जाति यादव पता नि मालनपुर ...इत्यादि

*(Handwritten signature)*  
 नरवर शिवपुरी  
 मध्य प्रदेश

(हस्ताक्षर)

नोट  
 1. यह प्रयत्न केवल प्राथमिक जानकारी के लिए है।  
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।  
 3. डिजिटली साईड कोपी के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें



मध्यप्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

नक्शा की प्रतिलिपि

वर्ष: 2025-2026

दिनांक: 23-08-2025 11:41:05



ब्लॉक सं.	ग्राम	हल्का	तहसील	जिला
	नरवर	नरवर	नरवर	शिवपुरी
सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल	भू-राजस्व.	मापांक 1:4000 (पृष्ठ आकार A4)	
1698/3(S)	0.1838(हेक्ट.)	1.88	0 20 40 60 80 120 160 200m	
<p><b>भूस्वामी:</b> वल्लू पुत्र लक्ष्मी जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी नल्यू पुत्र बाबू जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मक्खो बेवा नकसिया जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी रामकली बेवा सामलिया जाति डीमर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश भूमि स्वामी संजय पुत्र भगवानसिंह जाति बाथम पता नि वार्ड न.13 भितरवार ग्वालियर ...इत्यादि</p>				
 (हस्ताक्षर)				

- नोट
1. यह प्रपत्र केवल मापों की जानकारी के लिए है।
  2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
  3. डिजिटली साईड कार्य के लिए लोक सेवा केंद्र से, एम. पी. ऑनलाइन से अथवा ऑनलाइन आवेदन करें।









दिनांक 23.08.2025 को निरीक्षण दौरान धुवाई तालाब में नगरीय निकाय का घरेलू दूषित जल-मल नाले के माध्यम से मिलते हुये नाला एवं तालाब का ड्रोन कैमरे से लिये गये फोटोग्राफ्स

कार्यालय नगरपरिषद नरवर, जिला— (म.प्र.)  
Nagar Parishad Narwar Ditt. Shivpuri (M.P.)

Near old Police Station  
Pincode No- 473880  
Email. - cmonarwar@mpurban.gov.in

क्रमांक / नोपप / 2025 / 2068

नरवर, दिनांक 23 / 08 / 2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी  
क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड  
विजयपुर, जिला—गुना मध्यप्रदेश

**बिषय—** माननीय एन.जी.टी. (सीजेड) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 94 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 29 / 7 / 2025 के सम्बन्ध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत।

**संदर्भ—** (1) आपका कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक / 420 / क्षे.कार्या. / म.प्र.प्र.नि.बो. / 2025 दिनांक 4 / 8 / 2025  
(2) आपका कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक / 447 / क्षे.कार्या. / म.प्र.प्र.नि.बो. / 2025 दिनांक 12 / 8 / 2025

000

उपरोक्त बिषयोंतर्गत एवं संदर्भित पत्र क्रमांक 01 के सलग्न माननीय एन.जी.टी. (सीजेड) भोपाल के प्रकरण क्रमांक 94 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 29 / 7 / 2025 के पालन में बिषयोंकित चाही गई एक्शन टेकन रिपोर्ट बिन्दुवार निम्नानुसार प्रस्तुत है।

**बिन्दु क्रमांक 01—** यह कि, नगरीय घरेलु दूषित जल—मल धुबाई तालाब / निजी भूमि में निस्सारित के सम्बन्ध में लेख है कि वर्तमान के राजस्व अभिलेख अनुसार शिकायती स्थान निजी भूमि है जो नगर की भौगोलिक स्थिति अनुसार डाउनस्ट्रीम (जल अनुप्रवाह) में स्थित है कहने का तात्पर्य है कि शिकायती स्थान प्राचीनकाल से नगर की जलनिकासी (वर्षा जल, घरेलु उपयोगित जल) प्रणाली से जुड़ा जलभराव क्षेत्र है जलभराव क्षेत्र होने से इसका नाम प्राचीनकाल से धुबाई तालाब के नाम से प्रचलन में है। शिकायती स्थान नगर के जलनिकासी प्रणाली से सम्बद्ध होने से वर्षा जल एवं नगरीय घरेलु उपयोगित जल का प्रवाह शिकायती स्थान पर प्राचीनकाल से होता रहा है नगरीय क्षेत्र में जल का फैलाव रोकने की दृष्टि से पूर्व समय से कच्चे नाले के माध्यम से वर्षा जल एवं घरेलु उपयोगित जल शिकायती स्थान पर एकत्रित होता था जल स्तर बढ़ने के बाद स्ल्यूस के माध्यम से जल नगर के बाहर जाता था अतिवर्षा में उक्त कच्चा नाला कारगर न होने से बार—बार जलभराव की स्थिति निर्मित होने से शासन की एसडीएमएफ योजनांतर्गत उक्त कच्चे नाले के स्थान पर अनुमोदित ड्राइंग डिजाइन के अनुरूप पर्याप्त क्षमता का पक्का नाला निर्माण किया गया है नगरपरिषद द्वारा प्रथक से कोई नवीन घरेलु दूषित जल—मल का प्रवाह एवं निस्सारित उक्त धुबाई तालाब / निजी भूमि में नहीं किया गया है एवं न ऐसी कोई चेष्टा की गई है

**बिन्दु क्रमांक 03, 04, 05—** यह कि, शिकायती स्थान धुबाई तालाब / निजी भूमि में पूर्व से निस्सारित हो रहे घरेलु उपयोगित जल को रोकने के साथ—साथ सम्पूर्ण नगर के भिन्न—भिन्न क्षेत्रों के घरेलु उपयोगित जल को किसी भी वाटर बॉडी में जाने से रोकने एवं घरेलु उपयोगित जल को पुनः उपयोग में लेने के लिये नगर परिषद नरवर द्वारा "उपयोगित जल प्रबंधन" की कार्य योजना तैयार की जाकर स्वच्छ भारत मिशन योजनांतर्गत मध्यप्रदेश शासन से स्वीकृत करायी गई है जिसकी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर कार्य एजेंसी फर्म मेसर्स लक्ष्मण सिंह परमार मुरैना को कार्य योजना पूर्ण करने हेतु अनुबंधित किया जाकर कार्यादेश दिनांक 21 जुलाई 2025 को प्रदाय किया जा चुका है शासन से अनुमोदित टेंडर डाक्यूमेंट एवं अनुबंध प्रारूप के अनुसार कार्य योजना के सभी घटकों के कार्यों को पूर्ण करने की समयसीमा 12 माह वर्षाकाल सहित निर्धारित की गई है। उपयोगित जल प्रबंधन कार्ययोजना में सम्पूर्ण नगरीय घरेलु उपयोगित जल प्रवाह के नालों को इंटरसेप्ट एवं डाइवर्ट कर तथा आवश्यकता अनुसार नालों का विस्तारण कर नगर के बाहरी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 01 में कार्ययोजना अंतर्गत प्रस्तावित एस.टी.पी. इकाई तक ले जाकर एकत्रित घरेलु उपयोगित जल को

उपचारित किया जावेगा। अनुबंधित कार्य एजेंसी से प्राप्त टाइमलाइन प्रोग्राम अनुसार उक्त कार्ययोजना माह जुलाई 2026 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें अनुबंधित फर्म से प्राप्त टाइमलाइन प्रोग्राम के अनुसार कार्ययोजना की ड्राइंग डिजाइन शासन से अनुमोदित होने पर तत्काल प्राथमिकता से शिकायती स्थान (धुवाई तालाब/निजी भूमि) पर निजी भूमि धारको से निकाय पक्ष में लिखितम अनापत्ति पत्र प्राप्त कर एवं धुवाई तालाब/निजी भूमि में जलभराव कम होने की स्थिति में नाले का डायवर्जन कार्य सर्वप्रथम माह जनवरी 2026 तक कराया जावेगा। जिससे शिकायती स्थान पर घरेलु उपयोगित जल का निस्सारित होना पूर्णतः समाप्त हो जावेगा, एवं प्राकृतिक रूप से जलभराव क्षेत्र धुवाई तालाब/निजी भूमि सुरक्षित हो जावेगी।

### // समयबद्ध कार्य योजना //

कार्य विवरण	निर्माण होने वाले नाले की लम्बाई	कार्य पूर्ण होने की संभावित अवधि
धुवाई तालाब /निजी भूमि में मिलने वाले नाले का मुख्य मार्ग की पुलिया तक नाले का डायवर्सन ताकि घरेलू उपयोगित जल धुवाई तालाब में न मिले।	लगभग 100 मीटर	माह जनवरी 2026

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि पर्यावरणीय क्षति को रोकने एवं जनहित में शुद्ध वातावरण बनाये रखने के लिये नगरीय निकाय संकल्पित होकर सार्थक प्रयासरत है कृपया बिषयांकित प्रकरण में अधतन स्थिति की एक्शन टेकन रिपोर्ट मान्य कर संदर्भित पत्र क्रमांक 02 निरस्त करने का कष्ट करें।

सादर.....

सलग्न—(1)शासन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति

(2)उपयोगित जल प्रबंधन की डी.पी.आर.

(3)निवेदित कार्ययोजना की कार्य एजेंसी के साथ अनुबंध एवं कार्यादेश की प्रति

(4)अनुबंधित कार्य एजेंसी का टाइमलाइन प्रोग्राम

प्रतिलिपी—

2068  
23/8/2025

(1)कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला—शिवपुरी म.प्र. की और सूचनार्थ।

(2)अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग—करेरा जिला—शिवपुरी म.प्र. की और सूचनार्थ।

(3)तहसीलदार, तहसील—नरवर जिला—शिवपुरी म.प्र. की और सूचनार्थ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपरिषद नरवर  
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपरिषद नरवर  
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

श्री पंचनाम जॉन्स दरवाघर आंगूठा निशानी करने वाले राही-राही यह पंचनामा लिखा है कि मान. राष्ट्रीय दूषित जल-मल प्रदूषण नियंत्रण (CZ) बोर्ड का क्र. 94/2025 प्रकरण श्री नवल किरोर आर्गिव बनाम म.प्र. शासन के संयुक्त जॉन्स दिनांक 23/08/2025 को जी गई। जॉन्स दौरान तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार पुहार तालाब में निम्न सस्ते शामिल हैं

क्र.	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हे.)	भूमि स्वामी	वन्दोवस्त नो.
	1698/111	0.525	अद्वैतराज सिंह पुत्र राम सिंह	भूमि स्वामी
	1698/112	0.5254	राजकुमार खलीक पुत्र ओम प्रकाश खलीक	"
	1698/2	0.1035	शिवपूजन सिंह पुत्र रणजीत सिंह	"
	1698/3	0.1838	वणु पुत्र लच्छी व अन्य	"
	1698/4	0.4818	पवन कुमार पुत्र मधवीर प्रसाद	"

वर्तमान में लोड़ी से पुहार नाल के माध्यम से नगर परिषद नरवर के वाई क्र. 7, 8, 11 एवं 12 का धरौले दूषित जल-मल पुहार तालाब में जाकर मिलता है। निरीक्षण के समय पुहार तालाब में वर्षा का पानी एवं धरौले दूषित जल-मल मिलते हुए पाया गया।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद नरवर द्वारा पुहार तालाब/निजी भूमि में मिलने वाले नाले का मुख्य मार्ग की पुष्टि तक नाले का समयवर्ती करने तथा पुहार तालाब में न मिलने के लिए लगभग 100 मीटर लम्बे नाले का निर्माण जनवरी 2026 तक करने हेतु समयवद्ध कार्ययोजना पत्र क्र. 2068 दि. 23/08/2025 द्वारा जॉन्स समिति को उपलब्ध कराया गया। नगर परिषद क्षेत्र से उल्लेख होने वाले दूषित जल-मल के उपचार हेतु 02 MLD क्षमता का सीवज प्रीट्रिमेंट प्लांट की स्वीकृति हो चुकी है। जो जुलाई-2026 तक पूर्ण होने की संभावना है। यह पंचनामा समी के समक्ष लिखा गया एवं पढ़कर सुनाया गया जो मौक क्वट उभे जावे।

*[Signature]*  
Shubendra Singh  
MPCB Gurgaon

*[Signature]*  
CMO NP Narwar

*[Signature]*  
9893824525

*[Signature]*  
9981085385

*[Signature]*  
Teh Narwar

*[Signature]*  
9893824525

57

25

पारिषद 09

FORM X  
REPORT BY THE STATE BOARD, ANALYST  
( See Rule 31 )

Report No : 456  
Dated : 12/08/2025

I hereby certify that I, **Dharmendra Kumar Arya " Chemist "** State Board analyst duly appointed under sub-section (3) of section 53 of the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act, 1974 ( 6 of 1974 ) received on the **12<sup>th</sup> Aug, The Day-Tuesday, 2025** from **Shri Dharmendra Yadav "Chemist."** a sample of **Domestic Waste Water Sample of Lohri-Duhai Nalla before confluence into Duhai Talab, Nagar Parishad Narwar, Distt. - Shivpuri,** for analysis. The sample was in a condition fit for analysis reported below:-

I further certify that I have analysed the aforementioned sample, on **13.08.2025** and declare the result of the analysis to be as follows :-

1. Appearance - **Clear,** 2. Colour - **Colorless,** 3. Odour - **Unpleasant,** 4. PH **7.74,**
5. Total Solids **596.0** mg/litre., 6. Dissolved Solid **564.0** mg/litre., 7. Suspended Solid **32.0** mg/litre., 8. Chlorides **98.0** mg/litre., 9- BOD **20.0** mg/litre., 10. COD **42.0** mg/litre. 11. Fecal Coliform **24.0** MPN/100ml 12. Phosphate **2.1** mg/litre.

The condition of the seals, fastening and container or receipt was as follows :-

Two Litre Plastic Jury cane, whose mouth was sealed with chapdi received.

Signed This **26.08.2025**

( Signature )

(**Dharmendra Kumar Arya**)  
( State Board Analyst )

**Sample Analysed as per Standard Method APHA**

**Remark :**  Red Mark Indicated that the values are more than prescribed limit set by MPPCB, CPCB & MoEF.

**Address :** Regional Laboratory,  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board, Colony, Deen Dayal Nagar,  
Gwalior

FORM X  
REPORT BY THE STATE BOARD ANALYST  
( See Rule 31 )

Report No : 457  
Dated : 12/08/2025

I hereby certify that I, **Dharmendra Kumar Arya " Chemist "** State Board analyst duly appointed under sub-section (3) of section 53 of the Water ( Prevention and Control of Pollution ) Act, 1974 ( 6 of 1974 ) received on the **12<sup>th</sup> Aug, The Day-Tuesday, 2025** from **Shri Dharmendra Yadav "Chemist."** a sample of **Water Sample of Duhai Talab after confluence of Lohri-Duhai Nalla, Nagar Parishad Narwar, Distt. – Shivpuri,** for analysis. The sample was in a condition fit for analysis reported below:-

I further certify that I have analysed the aforementioned sample, on **13.08.2025** and declare the result of the analysis to be as follows :-

1. Appearance - **Clear**, 2. Colour - **Colorless**, 3. Odour - **Odourless**, 4. PH **7.57**,
5. Total Solids **374.0** mg/litre., 6. Dissolved Solid **351.0** mg/litre.,
7. Suspended Solid **23.0** mg/litre., 8. Chlorides **55.0** mg/litre., 9- BOD **1.9** mg/litre.,
10. COD **12.0** mg/litre. 11. Dissolved Oxygen **7.5** mg/litre 12. Conductivity **693.1** mg/litre
13. Phosphate **0.15** mg/litre 14. Ammonical Nitrogen **0.40** mg/litre 15. Nitrate **1.2** mg/litre
16. Sulfate **12.5** mg/litre 17. Turbidity **3.0** NTU 18. Total Alkalinity **90.0** mg/litre 19. Total Hardness **80.0** mg/litre 20. Calcium Hardness **60.0** mg/litre 21. Sodium **9.7** mg/litre
22. Potassium **1.2** mg/litre 23. Total Coliform **16.0** MPN/100ml 24. Fecal Coliform **1.8** MPN/100ml

The condition of the seals, fastening and container or receipt was as follows :-

Two Litre Plastic Jury cane, whose mouth was sealed with chapdi received.

Signed This **26.08.2025**

  
( Signature )

**(Dharmendra Kumar Arya)**  
( State Board Analyst )

**Sample Analysed as per Standard Method APHA**

**Remark :**  Red Mark Indicated that the values are more than prescribed limit set by MPPCB, CPCB & MoEF.

**Address :** Regional Laboratory,  
M.P. Pollution Control Board,  
Housing Board, Colony, Deen Dayal Nagar,  
Gwalior



## मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) - 462016  
 ☎(0755)2464428, 2466191 Fax: 0755 - 2463742 e-mail:ms-mppcb@mp.gov.in, www.mppcb.nic.in

कमांक 2042 /एम.एस.डब्ल्यू/तक./मुप्रनिबो/2023, भोपाल, दिनांक 11.08.2023  
 प्रति,

आयुक्त,  
 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,  
 शिवाजी नगर,  
 भोपाल (म.प्र.)

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण कमांक 606/2018 में जारी आदेश दिनांक 24/12/2021 के अनुसार अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने बाबत।

संदर्भ :- बोर्ड द्वारा आयुक्तों तथा नगरपालिका अधिकारियों को समय-समय पर जारी नोटिस।

विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित प्रकरण कमांक 606/2018 में जारी आदेश दिनांक 24/12/2021 के अनुसार अधिरोपित पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा कराये जाने हेतु संलग्न सूची अनुसार नगर निगम आयुक्तों तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को समय-समय पर नोटिस/आदेश प्रेषित किये गये हैं।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रचलित उपरोक्तानुसार प्रकरणों में दिये गये निर्देशों के परिपालन में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करने हेतु उपरोक्तानुसार लिखा गया है परन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा वर्तमान तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि जमा नहीं की गई है, जिससे माननीय अधिकरण के आदेश का पालन नहीं किया जा सका है।

उक्त संबंध में सर्वसंबंधितों को निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि 15 दिवस के भीतर जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किये जाने का अनुरोध है, अन्यथा माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना की दशा में बोर्ड द्वारा आयुक्त, नगर निगम व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15,16 एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 26 सहपठित धारा 30 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जावेंगे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(चन्द्रमोहन ठाकुर)  
 सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

60 (28)

-परीक्षा 1/2  
7.  
A.M.S.  
A.M.S.  
(270)

# MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E-mail:mswmpcb18@gmail.com

No. 174/MSW/HOPCB/2021

Bhopal, Date: 24/12/2021

To,

The Chief Municipal Officer,  
Nagar Parishad,  
Narwar,  
Distt- Shivpuri (M.P.)



**Sub:** Execution of the directions passed by Hon'ble National Green Tribunal imposing Environment Compensation for the period 01/07/2020 to 31/12/2020 for violating the provisions of Solid Waste Management Rules 2016.

**Ref:** 1. NGT orders dated 25.02.2020, 28.02.2020 & 14.12.2020 in OA No. 606/2018 "Compliance of Municipal Solid Waste Management rules, 2016".  
2. This office letter No. 62/HOPCB/2021 Bhopal Dated 01/03/2021

WHEREAS MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws prevailing in the state.

WHEREAS, the power to issue directions under section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986 has been delegated to the Chairman, MPPCB vide notification dated 10.04.2001.

WHEREAS, you are the Urban Local Body- Nagar Nigam/ Nagar Palika Parishad / Nagar Parishad/ Cantonment Board and it is the mandatory duty of Urban Local Bodies/ Cantonment Board to comply with the Solid Waste Management Rules, 2016.

WHEREAS, you have not obtained authorization as per the provision of Solid Waste Management Rules, 2016 from the MPPCB.

WHEREAS, in OA No. 606/2018, "Compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and other environment issues", Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has directed on 17/01/2020 & 25/02/2020 that :-

1. After 31.03.2020 failure to comply with Rule 22 of SWM Rules, from Serial No. 1 to 10, every local body shall be liable to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month per local body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body from 01.04.2020 till compliance.
2. Continued failure of every local body on the subject of commencing the work of legacy waste sites remediation from 01.04.2020 till compliance will result in liability to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per local body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body.
3. Commencement of setting up of STPs by 31.03.2020 - Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per STP by concerned local bodies/State (in terms of orders dt 28.08.2019 in O.A No 393/2017 and 06.12.2019 in O.A. No 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.

AE

31/12/2021

## MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E- mail:mswmppcb18@gmail.com

269

4. Interim measures for phytoremediation/bioremediation etc. in respect of 100% sewage to reduce the pollution load on recipient water bodies shall be under taken by 31.03.2020 - Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per drain by concerned local bodies/States (in terms of orders dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.

WHEREAS, NGT vide its order dated 14/12/2020 has extended the time line for levy of compensation from 01/04/2020 to 01/07/2020.

WHEREAS, State PCB has been directed by NGT vide order dated 28.02.2020 to assess and recover the amount of compensation liable to be paid by the Urban Local Bodies on the basis of above criteria.

WHEREAS, as per report of the site inspection dated 11.12.20 carried out by Regional Office, MPPCB, Guna it is observed that you have not complied with the tasks & timelines given by the Hon'ble NGT for period 30.06.2020 to 31.12.2020 as per details given below :-

ULB Name	District	Non Compliance						Total (Rs In lakh)	
		Rule 22 of SWM Rules 2016		Legacy Waste disposal Compensation (Rs In lakh)	Bioremediation of Drains		Commencement of STP installation		
		S.No of Non Compliance	Compensation (Rs In lakh)		No of Drains	Compensation (Rs In lakh)	No of STPs		Compensation (Rs In lakh)
Narwar	Shivpuri	2,3,4,6,8,10	6	0	1	30	1	30	66

WHEREAS, till date no reply of above referred notice dated 01.03.2021 has been received from you end. Whereas the Commissioner Urban Administration & Development Department, Govt. of MP has been requested vide letter no. 167 dt. 12/11/2021 to direct the Urban local bodies to deposit the amount of environmental compensation. In this respect Additional Commissioner Urban Administration Directorate has directed you vide letter sha-14/SBM/2021/2150 dt.17-12-2021 to take cognizance and comply as per law;

You are hereby directed to pay Environment Compensation of Rs.66 Lakhs for period of violation from 01.07.2020 to 31.12.2020 i.e. 06 months within 15 days from the date of issue these directions, in the P.D. account number 051/1121/2109 of Additional Secretary Environment Department in Vindhyachal Treasury, Vindhyachal Bhawan Bhopal.

This issues with the approval of the competent authority. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

For and On Behalf of  
M.P. Pollution Control Board

(A.A.Mishra)  
Member Secretary

Copy to ✓

The Regional Officer, M. P. Pollution Control Board, Guna for information & necessary action please.



**MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016  
Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E-mail: mawmpcb18@gmail.com

No. 1614/MSW/HOPCB/2021  
To,

Bhopal, Date: 11 MAY 2022

The Chief Municipal Officer,  
Nagar Parishad,  
Narwar,  
Distt.- Shivpuri (M.P.)

**Sub:** Imposition of Environmental Compensation for the period 01.01.2021 to 30.06.2021 due to violation of directions of the Hon'ble National Green Tribunal and the provisions of Solid Waste Management Rules, 2016 U/s 5 of Environmental (Protection) Act, 1986: - Notice there of.

**Ref:** 1. NGT orders dated 25.02.2020, 28.02.2020 & 14.12.2020 in OA No. 606/2018 "Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016".  
2. This office letter No. 174/MSW/HOPCB/2021 Bhopal Dated 24/12/2021

WHEREAS MP Pollution Control Board (MPPCB) is a statutory body constituted under section 4 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and has been entrusted with the responsibilities of enforcement of the Environment Laws in the State.

WHEREAS, the power to issue directions under section-5 of the Environment (Protection) Act, 1986 has been delegated to the Chairman, MPPCB vide notification dated 10.04.2001.

WHEREAS, you are the Nagar Nigam/ Nagar Palika Parishad / Nagar Parishad/ Cantonment Board and it is the mandatory duty of Urban Local Bodies/ Cantonment Board to comply with the Solid Waste Management Rules, 2016, as well as management & treatment of sewage of the town & to protect the natural water bodies from pollution.

WHEREAS, you have not obtained authorization as per the provision of Solid Waste Management Rules, 2016 from the MPPCB.

WHEREAS, in OA No. 606/2018, "Compliance of Solid Waste Management Rules, 2016 and other environment issues" Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has directed on 17/01/2020 & 25/02/2020 that :-

1. After 31.03.2020 failure to comply with Rule 22 of SWM Rules, from Serial No. 1 to 10, every local body shall be liable to pay compensation at the rate of Rs. 10 Lakh per month per local body for population of above 10 Lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 Lakhs and 10 Lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body from 01.04.2020 till compliance.
2. Continued failure of every local body on the subject of commencing the work of legacy waste sites remediation from 01.04.2020 till compliance will result in liability to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per local body for population of above 10 Lakhs, Rs. 5 lakh per month per local body for population between 5 Lakhs and 10 Lakhs and Rs. 1 lakh per month per other local body.
3. Commencement of setting up of STPs by 31.03.2020 - Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per STP by concerned local bodies/State (in terms of orders dt 28.08.2019 in O.A No 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.
4. Interim measures for phytoremediation/bioremediation etc. in respect of 100% sewage to reduce the pollution load on recipient water bodies shall be undertaken by 31.03.2020. Compensation is payable for failure to do so at the rate of Rs. 5 lakh per month per drain by concerned local bodies/States (in terms of orders dated 28.08.2019 in O.A. No. 593/2017 and 06.12.2019 in O.A. No. 673/2018) w.e.f. 01.04.2020.

*Mr. K. B. Sharma*  
*31/5/22*



# MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Paryawaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016

Phone (0755)-2466191, 2464428, Fax (0755)-2463742, E-mail: mawmppcb18@gmail.com

WHEREAS, State PCB has been directed by NGT vide order dated 28.02.2020 to assess and recover the amount of compensation liable to be paid by the Urban Local Bodies on the basis of above criteria.

WHEREAS, NGT vide its order dated 14/12/2020 has extended the time line for levy of compensation from 01/04/2020 to 01/07/2020.

And where as Hon'ble NGT vide its order dated 10/01/2020 has directed in para 36 (a) that "If the local bodies are unable to bear financial burden, the liability will be of the State Government with liberty to take remedial action against the erring local bodies".

WHEREAS, as per report of the site inspection dated 11.06.2021 carried out by Regional Office, MPPCB, Guna, it is observed that you have not complied with the tasks & timelines given by the Hon'ble NGT for period 01.01.2021 to 30.06.2021 and you are liable to pay environment compensation as per table given below :

Non Compliance									
ULB Name	District	Rule 22 of SWM Rules 2016		Legacy Waste disposal Compensation (Rs In lakh)	Bioremediation of Drains		Commencement of STP installation		Total (Rs In lakh)
		S.No of Non Compliance	Compensation (Rs In lakh)		No of Drains	Compensation (Rs In lakh)	No of STPs	Compensation (Rs In lakh)	
Narvar	Shivpuri	2, 3, 4, 6, 8, 10	6	0	1	30	1	30	66

WHEREAS, MPPCB vide this office letter No. 174 dt. 24/12/2021 has already directed you to pay Environment Compensation of Rs.66 Lakhs for period of violation from 01.07.2020 to 31.12.2020 within 15 days from the date of issue of the directions, in the P.D. account number 051/1121/2109 of Additional Secretary Environment Department in Vindhyachal Treasury, Vindhyachal Bhawan Bhopal, which has not been deposited so far.

You are hereby given an opportunity of 15 days to submit your reply/objections (if any) pertaining to above Stated non compliance and deposition of the levied environmental compensation amount for the period of 01/01/2021 to 30/06/2021.

In case no reply is received within 15 days from the date of issue of this notice, above proposed Environment Compensation shall be confirmed and action is also liable to be initiated against the responsible officers under section-17 of the Environmental(Protection) Act,1986

This issues with the approval of the competent authority. Kindly acknowledge the receipt of this letter.

For and On Behalf of  
M.P. Pollution Control Board

for A.A. Mishra  
Member Secretary

Copy to :  
The Regional Officer, M. P. Pollution Control Board Guna, for information & necessary action please.

C:\Users\mppcb\Desktop\ALL\letter C1-249



# क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टैकर पार्किंग ऐरिया, गैल काम्प. विजयपुर, जिला-गुना (म.प्र.)- 473112

ई-मेल-ropcb-guna@mp.gov.in, ro.mppcbguna26@gmail.com



क्रमांक 447

/क्षे.कार्या/म.प्र.प्र.नि.बो/2025

गुना, दिनांक 12.08.2025

एन.जी.टी प्रकरण अतिआवश्यक

प्रति,

1. अध्यक्ष महोदय,  
नगरपालिका परिषद, नरवर,  
जिला- शिवपुरी (म.प्र.)
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी,  
नगरपालिका परिषद, नरवर,  
जिला- शिवपुरी (म.प्र.)

विषय:- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने बाबत नोटिस

- संदर्भ:-
1. बोर्ड मुख्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 174/MSW/HO/PCB/2021 दिनांक 24.12.2021
  2. बोर्ड मुख्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 1614/MSW/HO/PCB/2022 दिनांक 11.05.2022
  3. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पीबी) के आदेश दिनांक 25.02.2020, 28.02.2020 एवं 14.12.2020 प्रकरण क्रमांक 606/2018
  4. माननीय एन.जी.टी के प्रकरण क्रमांक 94/2025 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2025

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (पीबी) के आदेश दिनांक 25.02.2020, 28.02.2020 एवं 14.12.2020 प्रकरण क्रमांक 606/2018 के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 174/MSW/HO/PCB/2021 दिनांक 24.12.2021 एवं बोर्ड मुख्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 1614/MSW/HO/PCB/2022 दिनांक 11.05.2022 द्वारा पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूप्य क्रमशः रु. 66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये मात्र) एवं रु. 66.00 लाख (छियासठ लाख रुपये मात्र) कुल राशि 1.32.00 (एक करोड़ बत्तीस लाख रुपये मात्र) अधिरोपित की गई है। इस संबंध में संदर्भित पत्र 01 व 02 संलग्न है।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप यह राशि इस नोटिस प्राप्ति की तिथि से 15 (पंद्रह) दिवस के भीतर, निम्न खाते में जमा कर जमा पावती की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

बैंक का नाम	पंजाब नेशनल बैंक, एफको शाहपुरा, अरेरा कॉलोनी भोपाल
खाता क्रमांक	6310001200000043
बेनिफिशियरी	सदस्य सचिव
आई.एफ.एस.सी.कोड	PUNB0631000

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अवहेलना की दशा में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16 तथा राष्ट्रीय हरित अधिनियम 2010 की धारा 26 सहपठित धारा 30 के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने का प्रावधान है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण यंत्री, (विधि) म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) की ओर लेख है कि, उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।
3. परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) की ओर लेख है कि, उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है।
4. तहसीलदार, कार्यालय तहसीलदार, नरवर, जिला- शिवपुरी (म.प्र.) की ओर लेख है कि, उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध है, इसके अलावा एन.जी.टी के प्रकरण क्रमांक 94/2025 में पारित आदेश दिनांक 29.07.2025 के अनुपालन में भी कार्यवाही अपेक्षित है।

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल  
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop  
Shivaji Nagar, Bhopal - 462016  
Tel. 0755-2558796, 2554083  
Email: himanshu.singh@mpurban.gov.in  
Website: www.murban.gov.in

क्र./शा-14/स्व.भा.मि./2024/23045  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29/10/2024  
वित्तीय स्वीकृति

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका/परिषद,

नैनपुर/मिपल्ल्या-नारायणवार/बागली/कोलारस/नरवर/चिचौली/सारणी/  
सिवनी मालवा/आठनेर/पांडूना/शादौरा/मल्हारगढ़/खातेगांव/गढ़ाकोटा  
/मनावर/झाबुआ/निवास (मध्यप्रदेश)

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत उपयोगित जल प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

विषयांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)-2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के नगरीय निकायों में उपयोगित जल प्रबंधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। उक्त के संबंध में निकायों द्वारा संभागीय कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत डीपीआर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की बैठक दिनांक 16.10.2024 में 13 डीपीआर स्वीकृत एवं 04 नगरीय निकायों की दरों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि निकाय, उपयोगित जल प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संचानालय स्तर से तैयार किया गया प्रारूप निविदा प्रपत्र अनुसार निविदा आमंत्रित करने एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की विधिवत कार्यवाही नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।  
(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
(हिमांशु सिंह)

उप मिशन संचालक (SBM)  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
म.प्र., भोपाल

भोपाल, दिनांक 29/10/2024

पृ.क्र/शा-14/स्व.भा.मि./2024/23046  
प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक (SBM), नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल।
3. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
4. संबंधित संभागीय अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।



उप मिशन संचालक (SBM)  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
म.प्र., भोपाल

संचालनालय  
नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल, मध्यप्रदेश  
क्रमांक/शा-14/स्व.भा.मि./2024/23047 भोपाल, दिनांक 29/10/2024

//कार्यवाही विवरण//  
राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC)

आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास की अध्यक्षता में दिनांक 16/10/2024 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) {Swachh Bharat Mission-2.0 (Urban) SBM-2.0 (U)} के संबंध में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की बैठक संपन्न हुई।

एजेण्डा आईटम क्रमांक-6- उपयोगित जल प्रबंधन :- डी.पी.आर. स्वीकृति हेतु।

(राशि रु. करोड़ में)

स. क्र.	निकाय का नाम	जिला	CSAP-3B Cost	आंतरिक तकनीकी मूल्यांकन समिति से अनुशंसित डी.पी.आर. की लागत राशि :-	राज्य स्तरीय तकनीकी समिति से अनुशंसित डी.पी.आर. की लागत राशि :-	रिमार्क
	2	3	4	5	6	7
1	Nainpur	Mandla	6.36	8.14	8.14	अनुशंसित
2	Piplanarayanwar	Chhindwara	2.42	4.00	4.00	अनुशंसित
3	Bagli	Dewas	2.90	3.06	3.06	अनुशंसित
4	Kolaras	Shivpuri	5.56	5.58	5.58	अनुशंसित
5	Narwar	Shivpuri	5.45	5.55	5.55	अनुशंसित
6	Chicholi	Betul	2.81	3.55	3.55	अनुशंसित
7	Sarni	Betul	37.96	8.20	8.20	अनुशंसित
8	Seoni-malwa	Hoshangabad	9.28	8.90	8.90	अनुशंसित
9	Athner	Betul	3.51	3.45	3.45	अनुशंसित
10	Pandhurna	Chhindwara	13.60	13.58	13.58	अनुशंसित
11	Shahdora	Ashoknagar	4.61	4.59	4.59	अनुशंसित
12	Malhargarh	Mandsaur	2.34	3.23	3.23	अनुशंसित
13	Khatagaon	Dewas	7.96	8.13	8.13	अनुशंसित

नोट:

- 5 करोड़ से अधिक राशि वाली डी.पी.आर को Government Engineering College से Vetting उपरांत ही निविदा जारी करे।

समिति का निर्णय:-

उपरोक्त तालिका में वर्णित निकायों की प्रस्तुत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनो (डी.पी.आर) का राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण किया गया। तालिका में वर्णित कॉलम नम्बर 7 में अंकित विवरण अनुसार, कॉलम नम्बर 6 पर उल्लेखित राशि की उपयोगित जल प्रबंधन परियोजनाओं का सर्वसम्मति से अनुमोदन



UWM DPR Abstract

Detailed Project Report - Used Water Management Scheme, Narwar, District Shivpuri Under the Project Swachh Bharat Mission (SBM) 2.0		
ABSTRACT		
Sr. No.	Particulars	Amount (in Lacs)
1	Construction of 1 no. Waste Water treatment plant base on Rotating Media Bio Reactor Technology of capacity 2 MLD .	330.00
2	Construction of 1 no. Main Pumping having capacity 2 MLD with providing and installing pumps and pumping main Comprising of DI-K7 class pipe of 200 mm diameter having length of 50 m from MPS to Waste Water treatment plant .	27.82
3	50 KL Sump Well Costing for Reuse of treated wastewater	8.71
4	Providing, Laying & Supply of 500 mm diameter pipe line comprising of RCC NP3 pipe having length of 50 m for (Gravity Based) sewerage system including sewer appurtenances as required.	1.54
5	Estimated Cost of 25KVA transformer , 25 KWP On grid Solar Photo voltaic Power Plant 0.25 km IIT line	36.95
6	Estimated Cost of 1 no. Construction of Screen Chamber Cum Trash Arrester at Main Pumping station	2.30
7	Estimated Cost of Construction of 1no. Interception Diversion Structure at Nallah	2.79
8	Estimated Cost Strengthening of Drain having length 1100 m	60.20
	Sub Total	470.31
	GST 18%	84.66
	Total cast of the Project Inclusive Of GST	554.96
	CSAP Cost	545.00



68

UWM work order

नगरपरिषद नरवर, जिला-शिवपुरी (म.प्र.)  
Nagar Parishad Narwar Distt. Shivpuri (M.P.)  
www.narwar.gov.in

Near old Police Station  
Pincode No- 473880  
Email -

परिशिष्ट 16

1040/2025/1896

नरवर, दिनांक 21/07/2025

### कार्यादेश

श्री लक्ष्मण सिंह परमार, ठेकेदार,  
शर्मा वाली गली गोपालपुरा  
मुरैना

स्वच्छ भारत मिशन शहरी - 2.0 अर्न्तगत उपयोगित जलप्रबंधन परियोजना का कार्य सम्पादन वाबत्।

—00—

उपरोक्त विषयान्तगत लेख है कि आपके द्वारा सम्पादित अनुबंध दिनांक 18.07.25 के क्रम स्वच्छ भारतमिशन शहरी - 2.0 अर्न्तगत उपयोगित जलप्रबंधन परियोजनाका कार्य सम्पादन किये जाने हेतु शिष्ट किया जाता है। कि आप टेण्डर डॉक्यूमेंट के अनुसार निर्धारित समय अवधि अनुसार शीघ्र कार्य करें। एवं कार्यालय को सूचित करे। विवरण निम्नानुसार है:-

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1) कार्य का नाम:-           | स्वच्छ भारत मिशन शहरी - 2.0 अर्न्तगत उपयोगित जलप्रबंधन का कार्य परियोजना |
| 2) कार्य की अनुमानित लागत:- | 470.31 लाख + जीएसटी अतिरिक्त   |
| 3) कार्य की समयवधि:-        | 12 माह (वर्षाकाल सहित)   |
| 4) कार्य की स्वीकृत दर :-   | 444.38 लाख + जीएसटी अतिरिक्त   |
| 5) लागू दर सूची -           | UADD, ISSR, 2- अगस्त 2021 की प्रचलित दर (संशोधित सहित)                   |
- 6) समस्त देयक भुगतान के पूर्व खनिज विभाग से रॉयल्टी क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 7) अन्य शर्तें निविदा एवं अनुबंध अनुसार रहेगी।
- 8) शासन से नियमानुसार समस्त नियम एवं शर्तें लागू रहेगी।

मुख्य नगर/परिषदाधिकारी  
नगरपरिषद नरवर  
जिला शिवपुरी म0प्र0



# M/s. Laxman Singh Parmar

Govt. Contractor & Supplier's

Ref. No. LSP/LWM/0010

Date 22/08/2025

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपरिषद नरवर, जिला-शिवपुरी

बिषय:- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 शहरी अंतर्गत उपयोगिता जल प्रबंधन योजना का टाईमलाईन प्रोग्राम प्रस्तुत करने बाबत।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत मेरे द्वारा नरवर नगरीय क्षेत्रान्तर्गत उपयोगित जल प्रबंधन का कार्य किया जाना है निर्धारित समय अवधि का घटकवार टाईम प्रोग्राम निम्नानुसार है

1	कार्यादेश दिनांक	21/07/2025 से 25/07/2026 तक
2	ड्राईंग डिजाईन का कार्य	21/11/2025 तक
3	इन्टर सेप्सन डायवर्सन कार्य	21/01/2025 तक
4	एस.टी.पी. निर्माण कार्य	21/03/2026 तक
5	विद्युत सबस्टेशन कार्य	21/04/2026 तक
6	शहर में नाला निर्माण कार्य	21/05/2026 तक
7	सम्पूर्ण कार्य पूर्ण कर जल शुद्धीकरण कार्य	21/07/2026 तक

मै. लक्ष्मण सिंह परमार

पार्टनर

F. No. W-4/4/2022-WTL  
Government of India  
Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
(Wetlands Division)

Indira Paryavaran Bhawan  
Jor Bagh Road, New Delhi -110003

Dated 8<sup>th</sup> March, 2022

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Protection of Wetlands as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017**

The Hon'ble Supreme Court vide Order dated 4<sup>th</sup> October, 2017 in W.P. (C) No. 230 of 2001 has inter-alia, directed that, "*We make it clear and reiterate that in terms of our order dated 8<sup>th</sup> February, 2017, 2,01,503 wetlands that have been mapped by the Union of India should continue to remain protected on the same principles as were formulated in Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010.*"

2. The same has been communicated by this Ministry to all the States and UTs in November, 2017. Hon'ble NGT has also reiterated the same in various recent cases.

3. In view of above, it is once again clarified/reiterated that the 2,01,503 wetlands (>2.25 ha) as per the National Wetland Inventory and Assessment (NWIA), 2011 should be protected as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017. This protection is irrespective of the applicability of/notification as per the said Rules.

*Ramesh*

(Dr. M. Ramesh)  
Scientist 'E'

Tel.: 011-20819249

Email: [ramesh.motipalli@nic.in](mailto:ramesh.motipalli@nic.in)

To

The Member Secretaries of State and UT Wetlands Authorities

---

**Joint committee Report in OA 94/2025 Naval Kishor Bhargav Vs State of MP**

---

**From :** Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>

Fri, Sep 19, 2025 06:05 PM

**Subject :** Joint committee Report in OA 94/2025 Naval Kishor  
Bhargav Vs State of MP

 1 attachment

**To :** kanishdevesh1@gmail.com, Sanjay Shukla  
<psuaddmp@mpurban.gov.in>, dmshivpuri dmshivpuri  
<dmshivpuri@nic.in>, cmonarawr@mpurban.gov.in

**Cc :** manojmandrai <manojmandrai@gmail.com>, parul  
bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

Madam/Sir

Please find enclosed the Joint Committee Report submitted in the matter of O.A. No. OA 94/2025 Naval Kishor Bhargav Vs State of MP in compliance of Hon'ble NGT Order dated 29.07.2025. This mail may be treated as proof of service.

Regards

Legal Section  
MP PCB

---

 **NGT JCR 94 2025 with Annexure (1) (1)-signed.pdf**  
15 MB

---